IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0 एफ.4(7)अपशिष्ट प्रबन्ध/विधि/पंरा/2019/2885 जयपुर, दिनांकः 11-10-2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :— सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 की कियांविति हेतु उपविधियां (Bye-laws) अधिसूचित करवाये जाने बाबत।
प्रसंगः— विभागीय पत्रांक 565 दिनांक 24.6.2019 एवं 1765 दिनांक 29.8.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रो द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि ज़िला परिषद की साधारण सभा की विशेष बैठक दिनांक 13.9.2019 तक आयोजित कर उपविधियों (Bye-laws) के प्रारूप को इस बैठक में अनुमोदित/पारित करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा अनुमोदित/पारित उपविधियों (Bye-laws) को राजपत्र में दिनांक 16.9.2019 तक प्रकाशित करवा कर, विभाग को अवगत करवायें।

खेद का विषय है कि अभी तक आप द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की सूचना विभाग को प्रेषित नहीं की गई है। उक्त प्रकरण माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में लम्बित Original Application No. 606/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.1.2019 की पालना से सम्बन्धित है। अतः आप अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर, प्रारूप अनुमोदित/पारित किये जाने तथा अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन किये जाने की सूचना **तीन दिवस में आवश्यक रूप से** पंचायती राज विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, जयपुर।
2. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राजस्थान, जयपुर ।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
4. एसीपी कम उप निदेशक, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)